प्राचार्य का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL
राजकीय पोलिटेकनिक खगड़िया
GOVT. POLYTECHNIC KHAGARIA (BIHAR)

पत्रांक :–764/ खगड़िया   दिनांक :–05/07/2023

छात्रावास नियम एवं प्रावधान

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं को छात्रावास के निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है –

1. संस्थान /छात्रावास परिसर में रैगिंग सख्त वर्जित है , किसी भी छात्र-छात्रा का रैगिंग में संलिप्तता पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी |
2. किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करना या अपने पास रखना सख्त मना है |
3. कोई भी छात्र -छात्रा अपने माता-पिता सहित किसी भी आगंतुक को बिना अनुमति कमरे में नहीं ले जायेंगे |
4. कोई भी छात्र -छात्रा अपने कमरे में बहुमूल्य सामान नहीं रखेंगे |
5. छात्र -छात्राएं को प्रत्येक दिन छात्रावास में संध्या 7:00 बजे (बालक) / 6:00 बजे (बालिका)अथवा अँधेरा होने से पहले छात्रावास में वापस आ जाना होगा |
6. सभी छात्र -छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे छात्रावास के मेस में खान-पान करें एवं पानी का दुरूपयोग ना करें | साथ ही अनावश्यक बिजली का उपयोग ना करें |
7. छात्रावास के कमरे में गैस सिलिंडर , हीटर , इंडक्शन इत्यादि रखना वर्जित है |
8. अपने सामान की सुरक्षा के लिए छात्र -छात्राएं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं |
9. छात्र-छात्राओं को कक्षाओं के दौरान (प्रातः 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे) छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है | जब तक कि बीमारी या किसी अन्य उचित कारण से रहने की स्थिति अपरिहार्य ना हो | ऐसे मामलों में उन्हें लिखित रूप में छात्रावास प्रशासन से अनुमति लेनी होगी |
10. छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र -छात्राओं को कमरे के बाहर /हॉस्टल /कॉरिडोर में पहनावे में मर्यादा रखनी होगी |
11. विद्यार्थी अपने कमरे, बरामदे और आस-पास के क्षेत्रों को हर समय साफ-सफाई में रखेंगे | कचरा कूड़ेदान के अलावा और कहीं ना हो | हॉस्टल में यहाँ-वहां थूकना मना है |
12. छात्रावास में शांति बनाए रखना होगा | कमरे के बाहर संगीत/ लाउड टॉकिंग सुनाई ना दे | किसी भी तरह के उत्सव और शोर-शराबे / पटाखे फोड़ना , जिससे छात्रावास परिसर में अन्य विद्यार्थिओं को परेशानी हो , सख्त मना है |
13. संस्थान के वैसे विद्यार्थी जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ,उनको हॉस्टल में आने की एवं रात में रुकने की अनुमति नहीं होगी |
14. संस्थान परिसर में लगे किसी भी उपकरण को क्षति पहुंचाने पर छात्र-छात्राओं के विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी |
15. छात्र-छात्राओं को संस्थान परिसर से बाहर जाते और अन्दर आते समय अपने जाने और आने का समय संस्थान के मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा प्रहरी के समक्ष अपनी उपस्थिति कारण के साथ अंकित करनी होगी |
16. संस्थान के छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व छात्र-छात्राओं को छात्रावास प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी | बिना सूचना दिए छात्रावास से बाहर जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी |
17. विद्यार्थी किसी भी साम्प्रदायिक गतिविधि जो कानून व्यवस्था के लिए हानिकारक हो या संस्थान के खिलाफ हों ,में शामिल नहीं होंगे |
18. संस्थान /छात्रावास परिसर में अनुशासनहीनता बरतने पर छात्र-छात्राओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी |
19. संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा |

प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया
प्राचार्य 05/07/2023
राजकीय पोलिटेकनिक, खगड़िया
05/07/2023

पता :– ग्राम + पो0 – महदीपुर, थाना – पसराहा, खगड़िया – 851212,
Add.:- Vill+Po – Mahaddipur, Ps – Pasraha, Khagaria - 851212
Email – gpkhagaria@gmail.com website: gpkhagaria.ac.in